

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-1)


क्रमांक एफ 2(9)ग्रावि/ग्रुप-1/2007

जयपुर, दिनांक - 17 APR 2020

:: आदेश ::


श्री छगन लाल बेनीवाल (आर.ए.एस.) परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ग्रामीण विकास द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति किये जाने हेतु अनुरोध किये जाने के फलस्वरूप संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 2(11)के कार्मिक/क-4/08 दिनांक 06.04.2020 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अंतर्गत दिनांक 21.04.2020 से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं।

श्री बेनीवाल के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (एस.ए.पी.) का कार्यभार श्री भास्कर दत्त त्रिपाठी, परियोजना अधिकारी (एस.ए.पी.) को आवंटित किया जाता है। श्री त्रिपाठी अपने कार्य के साथ-साथ अग्रिम आदेशों तक परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (एस.ए.पी.) का कार्य सम्पादित करेंगे।

  
(राजेश्वर सिंह)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान, सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
4. समस्त योजना प्रभारी, ग्रामीण विकास विभाग।
5. श्री छगन लाल बेनीवाल (आर.ए.एस.) परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एस.ए.पी. को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार श्री भास्कर दत्त त्रिपाठी, परियोजना अधिकारी (एस.ए.पी.) को संभलवायें।
6. श्री भास्कर दत्त त्रिपाठी, परियोजना अधिकारी (एस.ए.पी.) को पालनार्थ।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजस्थान।
8. एनालिस्ट कम प्रोगामर (उप निदेशक), ग्रामीण विकास को वेबसाईट पर अपलोड करने के काम में।
9. रक्षित पत्रावली।

  
(कैलाश चन्द्र मीना)  
विशिष्ट शासन सचिव